अनुदान संख्या 8 – नागर विमानन मंत्रालय
GRANT No. 8–MINISTRY OF CIVIL AVIATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीक त-	Voted–				
मूल	Original	476,06,00	693,19,00	687,42,29	–5,76,71
पूरक	Supplementary	217,13,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,77,91
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीक त-	Voted–		171,98,00	159,76,00	–12,22,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				12,36,45

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि (577.91 लाख रु.) 576.71 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (Rs.577.91 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.576.71 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3053" नागर विमानन	Major Head "3053" Civil Aviation				
मू.	O.	46417.00	66991.76	66983.03	–8.73
पू.	S.	21211.00			
पु.	R.	–636.24			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''3075'' अन्य परिवहन सेवाएं	Major Head "3075" Other Transport Services				
मू.	O.	381.00			
पू.	S.	114.00	472.50	482.66	+10.16
पु.	R.	–22.50			

(I) 12.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.12.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained in October, 2008 and February, 2009 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3053'' - ''सामान्य'' -

(A) Major Head "3053" - "General" -

(क) ''प्रशिक्षण और शिक्षा - प्रशिक्षण और अनुज्ञप्ति निदेशालय'' - 70.20 लाख रु. के मूल प्रावधान को 21.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 91.20 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 9.53 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा ;

(a) "Training and Education – Directorate of Training and Licensing" - the original provision of Rs.70.20 lakhs was augmented to Rs.91.20 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.21.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.9.53 lakhs;

(ख) ''अनुसंधान और विकास - अनुसंधान और विकास निदेशालय'' - 148.05 लाख रु. के मूल प्रावधान को 75.50 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 223.55 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 9.58 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा ;

(b) "Research and Development - Directorate of Research and Development" - the original provision of Rs.148.05 lakhs was augmented to Rs.223.55 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.75.50 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.9.58 lakhs;

(ग) ''निरीक्षण - वैमानिक निरीक्षण नियंत्रक'' - 678.80 लाख रु. के मूल प्रावधान को 245.30 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 924.10 लाख रु.

(c) "Inspection - Controller of Aeronautical Inspection" - the original provision of Rs.678.80 lakhs was augmented to Rs.924.10 lakhs by obtaining

कर दिया गया, तथापि, जो 83.41 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा ; और

(घ) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''नागर विमानन सुरक्षा'' - 670.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 119.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 789.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 57.45 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दावे प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(ii) ''इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को सहायता अनुदान'' - 492.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 432.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 924.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो अकादमी में कम प्रशिक्षण क्रियाकलाप होने के कारण 112.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3075'' - ''अन्य - अन्य व्यय - रेलवे सुरक्षा आयुक्त'' - 381.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 114.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 495.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दावे प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 12.34 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''3053'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - हवाई खेलों के विकास के लिए भारतीय हवाई क्लब को सहायता अनुदान'' के अंतर्गत 1000.00 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्लब में प्रशिक्षण के कम क्रियाकलाप होने और मुख्य स्कीमों में कम व्यय होने के कारण हुई।

supplementary grant of Rs.245.30 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.83.41 lakhs; and

(d) “Other Expenditure” –

(i) “Civil Aviation Security” - the original provision of Rs.670.00 lakhs was augmented to Rs.789.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.119.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.57.45 lakhs.

Savings under the above four heads were due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims and economy measures.

(ii) “Grants-in-aid to Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy” - the original provision of Rs.492.00 lakhs was augmented to Rs.924.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.432.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.112.00 lakhs – due to fewer training activities in the Academy.

(B) Major Head “3075” – “Others – Other Expenditure – Commissioner of Railway Safety” - the original provision of Rs.381.00 lakhs was augmented to Rs.495.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.114.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.12.34 lakhs – due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims and economy measures.

(III) Under Major Head “3053” – “General – Other Expenditure – Grants-in-aid to Aero Club of India for Development of Aero Sports” – saving of Rs.1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to fewer training activities in the club and less expenditure in Major Schemes.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''3053'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) ''निदेशन और प्रशासन - नागर विमानन महानिदेशालय'' - 132.14 लाख रु. का अधिक व्यय (142.20 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1428.15 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) ''अन्य व्यय - हज चार्टर के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता'' - 535.00 लाख रु. का अधिक व्यय (20165.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 61465.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रवधान की तुलना में) मंत्रिमंडल के अनुमोदन से हज तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (1236.45 लाख रु.) 1222.00 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3053" – "General" – under the following heads:-

(I) "Direction and Administration – Director General Civil Aviation" - excess of Rs.132.14 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1428.15 lakhs including supplementary grant of Rs.142.20 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(II) "Other Expenditure - Subsidy for operation of Haj Charters" – excess of Rs.535.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.61465.00 lakhs including supplementary grant of Rs.20165.00 lakhs) was due to increase in number of pilgrims with the approval of the Cabinet.

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (Rs.1236.45 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.1222.00 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	2000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–2000.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "5053" नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5053" Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	13654.00	13199.55	13214.00	+14.45
पु.	R.	–454.45			
मुख्य शीर्ष "7053" नागर विमानन के लिए कर्ज	Major Head "7053" Loans for Civil Aviation				
मू.	O.	1544.00	2762.00	2762.00	. .
पु.	R.	1218.00			

(I) 3500.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "विमानपत्तन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण" - 2000.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "5053" - "सामान्य - अन्य व्यय - नागर विमानन सुरक्षा" - 1500.00 लाख रु. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के पूरा न होने की वजह से मुख्यालय भवन के निर्माण में विलंब होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "5053" - "सामान्य - प्रशिक्षण एवं शिक्षा - नागर विमानन महानिदेशालय" के अंतर्गत 124.07 लाख रु. की बचत (5965.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान

(I) Provision of Rs.3500.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" - "Airports – Investment in Public Sector and Other Undertakings – Airports Authority of India" – Rs.2000.00 lakhs - due to re -appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "5053" – "General – Other Expenditure – Civil Aviation Security" – Rs.1500.00 lakhs - due to delay in construction of Headquarters building owing to non-completion of process of acquisition of land.

(II) Under Major Head "5053" - "General - Training and Education – Directorate General of Civil Aviation" - saving of Rs.124.07 lakhs

की तुलना में) मशीनरी और उपस्कर की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों और नागर विमानन महानिदेशालय भवन के निर्माण और नवीकरण के लिए कार्य प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष ''5053'' - ''विमानपत्तन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग)'' - 1219.00 लाख रु. का अधिक व्यय (6044.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ; और

(II) मुख्य शीर्ष ''7053'' - ''सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग)'' - 1218.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1544.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग और बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना के लिए बढ़े हुए आबंटन के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(against the sanctioned provision of Rs.5965.00 lakhs) was due to non-clearance of proposals for procurement of machinery and equipment and the work proposals for construction and renovation of Directorate General of Civil Aviation building.

4. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "5053" - "Airports - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Airports Authority of India (National Airports Division)" - excess of Rs.1219.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6044.00 lakhs); and

(II) Major Head "7053" – "Loans to Public Sector and Other Undertakings – Airports Authority of India (National Airports Division)" – excess of Rs.1218.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1544.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and increased allocation for externally aided project.